

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F-4 (317) अ.कै. / अ.कै. / निर्देश / 2013-12 / 101

दिनांक 12 जुलाई, 2013

प्राचार्य

राजकीय विधि महाविद्यालय

अजमेर / अलवर / भीलवाड़ा / सिरोंही / बून्दी  
कोटा / झालावाड़ / धौलपुर / भरतपुर / पाली  
नागौर / श्रीगंगानगर / चुरू / बीकानेर / सीकर


विषय:- विधि महाविद्यालय के सम्बन्ध में सूचना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय से संबंधित निम्न अद्यतन सूचना दिनांक 20.7.13 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:-

- (1) आपके महाविद्यालय को कब से विश्वविद्यालय से समबद्धता नहीं मिली है ? समबद्धता हेतु आपने क्या प्रयास किये ?
- (2) आपके महाविद्यालय को कब से बी.सी.आई से मान्यता नहीं मिल रही है ? मान्यता हेतु आपने क्या प्रयास किये ?
- (3) आपके महाविद्यालय में छात्रों की संख्या ..... (सत्र 2012-13 में व 2013-14) अलग-अलग
- (4) महाविद्यालय में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कितने स्वीकृत पद हैं एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं प्रतिनियुक्ति पर आये हुये कर्मचारियों का पूर्ण विवरण
- (4) आपके महाविद्यालय में भूमि की स्थिति :-  
(क) भूमि कहीं व कितनी है.....
- (5) आपके महाविद्यालय में भवन की स्थिति:-
  - (1) निर्माण कार्य पूरा है.....
  - (2) निर्माण कार्य अधूरा है.....
  - (3) भवन अधिग्रहण कर लिया है.....
  - (4) क्या छात्र स्वयं के भवन में अध्ययन कर रहे हैं?

भवदीय

  
(डॉ. सी. एम. खटीक)  
संयुक्त निदेशक

प्रतिाक्षिपी

1. श्री धिरेन्द्र देवर्षी वेबसाइट पर अपलोड हेतु,

